**वित्त मंत्रालय**

**वित्तीय सेवाएं विभाग**

जुलाई, 2024 के दौरान वित्तीय सेवाएं विभाग में हुए महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:-

i. दिनांक 2.7.2024 को सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) की अध्यक्षता में सीआईसी और आरबीआई के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में सीआईसीआरए अधिनियम, 2005 के विभिन्न उपबंधों और संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

ii. विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं अर्थात्, पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई, पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा करने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ दिनांक 09.07.2024 को बैठक आयोजित की गई।

iii. दिनांक 19.07.2024 को सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) की अध्यक्षता में व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) निगरानी समिति की 7वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों, आईबीए अध्यक्ष और एनपीसीआई द्वारा सहभागिता की गई।

iv. हाल ही में हुए माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल आउटेज को ध्यान में रखते हुए बैंकों की साइबर सुरक्षा के संबंध में खतरे/प्रगति संबंधी तैयारी पर चर्चा करने के लिए विभाग द्वारा दिनांक 20.7.2024 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों और उनके मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) के साथ बैठक आयोजित की गई।

v. सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब नैशनल बैंक के क्रमशः 1,500 करोड़ रुपए और 7,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त टीयर-1 बॉण्ड जुटाने के प्रस्ताव के संबंध में अपनी अनापत्ति दिनांक 8.7.2024 को दे दी।

vi. सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बाज़ार से क्यूआईपी के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी जुटाने की अनुमति दिनांक 29.7.2024 को दी है।

अन्य नियमित उपायों और महत्वपूर्ण प्रगति का ब्यौरा इसके साथ संलग्न है।

## वित्तीय सेवाएं विभाग के अन्य नियमित कार्यकलाप

**1. प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत प्रगति:**

| योजनाएं | दिनांक 31.7.2024 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां (योजना को आरंभ किए जाने से लेकर) | वित्तीय वर्ष 2024-25 में वृद्धि (दिनांक 31.7.2024 की स्थिति के अनुसार) | जुलाई, 2024 में वृद्धि (दिनांक 31.7.2024 तक) |
|---|---|---|---|
| **प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)**<br>● पीएमजेडीवाई खातों की संख्या<br>● जमाराशि<br>● रुपे कार्ड की संख्या | 52.99 करोड़<br>2,28,362 करोड़ रुपए<br>35.97 करोड़ | 103.95 लाख<br>(-4,140.29) करोड़ रुपए<br>62.52 लाख | 42.21 (28.09 लाख ग्रामीण + 14.12 लाख शहरी)<br>(-275.89) करोड़ रुपए<br>26.92 लाख |
| **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)**<br>● नामांकन<br>● संवितरित दावों की संख्या | 45.36 करोड़<br>1,41,252 | 156 लाख<br>6,679 | 67 लाख<br>1,878 |
| **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)**<br>● नामांकन<br>● संवितरित दावों की संख्या | 20.62 करोड़<br>8,18,954 | 72 लाख<br>41,035 | 30 लाख<br>12,792 |
| **अटल पेंशन योजना (एपीवाई)**<br>(31.7.2024) | 6.76 करोड़ | 32.64 लाख | 10.22 लाख |

**प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)**

| पीएमएमवाई | योजना को आरंभ किए जाने से लेकर (दिनांक 31.7.2024 की स्थिति के अनुसार) | | वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (31.7.2024 तक) | | जुलाई, 2024 के दौरान (31.7.2024 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | खातों की संख्या (करोड़ में) | राशि (लाख करोड़ रुपए में) | खातों की संख्या (करोड़ में) | राशि (लाख करोड़ रुपए में) | खातों की संख्या (करोड़ में) | राशि (लाख करोड़ रुपए में) |
| शिशु | 39.12 | 11.12 | 0.70 | 0.25 | 0.13 | 0.05 |
| किशोर | 8.89 | 11.73 | 0.43 | 0.54 | 0.09 | 0.11 |
| तरूण | 1.01 | 7.18 | 0.04 | 0.35 | 0.01 | 0.08 |
| **कुल** | 49.02 | 30.03 | 1.17 | 1.14 | 0.23 | 0.24 |
| एससी/एसटी/ओबीसी (कुल में शामिल) | 24.69 | 10.51 | 0.65 | 0.42 | 0.13 | 0.09 |
| महिलाएं (कुल में से) | 33.31 | 13.32 | 0.82 | 0.47 | 0.17 | 0.11 |

**स्टैण्ड अप इंडिया (एसयूपीआई)**

| एसयूपीआई | योजना को आरंभ किए जाने से लेकर (दिनांक 31.7.2024 तक की स्थिति के अनुसार) | | वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (दिनांक 31.7.2024 तक की स्थिति के अनुसार) | | जुलाई, 2024 के दौरान (दिनांक 31.7.2024 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | खातों की संख्या | राशि (करोड़ रुपए में) | खातों की संख्या | राशि (करोड़ रुपए में) | खातों की संख्या | राशि (करोड़ रुपए में) |
| अजा. | 42,437 | 8,975.75 | 4,404 | 908.75 | 2,435 | 426.37 |
| अजजा. | 14,024 | 2,999.79 | 1,304 | 266.91 | 600 | 104.32 |
| महिलाएं | 1,85,226 | 42,658.31 | 7,852 | 1,886.57 | 3189 | 710.01 |
| **कुल** | **2,41,687** | **54,633.85** | **13,560** | **3,062.23** | **6,224** | **1,240.70** |

2. **अकाउंट एग्रीगेटर:** दिनांक 31.7.2024 की स्थिति के अनुसार, 59 वित्तीय संस्थाओं (एफआई) ने वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में, 379 एफआई ने वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) के रूप में तथा 96 एफआई ने एफआईपी तथा एफआईयू दोनों के रूप में कार्य करना आरंभ किया है। 2.12 बिलियन पात्र बैंक खातों (जिसमें 1.64 बिलियन बैंक खाते शामिल हैं) में से लगभग 84.79 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने अपने खाते को एए ढांचे से संबद्ध किया है।

3. **पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि):** दिनांक 31.7.2024 की स्थिति के अनुसार 12,432.19 करोड़ रुपये की राशि के कुल 90.84 लाख ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 86.74 लाख ऋण आवेदनों में 11,787.62 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।

4. **खातों को आधार से जोड़ना:** दिनांक 26.7.2024 की स्थिति के अनुसार, 172.49 करोड़ कासा खातों में से 150.97 करोड़ खातों (87.5%) को आधार से जोड़ दिया गया है।

5. **पीएमजेडीवाई खाताधारकों को बीमा कवरेज:** पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत क्रमशः 6.38 करोड़ और 15.62 करोड़ पीएमजेडीवाई खाताधारकों का नामांकन किया गया है जिनमें से जुलाई, 2024 के दौरान पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत क्रमशः 5.52 लाख और 14.58 लाख पीएमजेडीवाई खाताधारकों का नामांकन किया गया है।

*******